[475]

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 2217 आज [redacted] प्राप्त
दिनांक 7-8-12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1— विनोद कुमार तिवारी, उम्र 32 वर्ष

2— प्रमोद कुमार तिवारी, उम्र 28 वर्ष

दोनो के पिता श्री शीतला प्रसाद तिवारी,

3— शीतला प्रसाद तिवारी तनय श्री भगवान तिवारी,

सभी निवासी ग्राम कशियारी, थाना अतरैला, तहसील जवा, जिला रीवा (म0प्र0)

——निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्तागण।

R. 2817-II/12

बनाम

1— मध्यप्रदेश शासन

2— रमेश प्रसाद पिता श्री अनुसुइया प्रसाद ब्रा0

निवासी ग्राम कसियारी, थाना अतरैला, तहसील जवा, जिला रीवा (म0प्र0)

——गैरनिगरानीकर्ता/आवेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार राजस्व वृत्त जवा, तहसील जवा, जिला रीवा के प्रकरण क0–40/ए–12/10–11 में पारित आदेश दिनांक 12/06/2012

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0 एवं संशोधन अधिनियम 2011 ई0

अधिवक्ता श्री के.पी. त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत। 6/08/2012 रीवा कैम्प 6/8/12

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

1— यह कि गैरनिगरानीकर्ता क0–2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0 प्रस्तुत कर ग्राम कसियारी की भूमि नं0–81/3, 82/3, 108/1, 109/1, 139/2, 149/3 कुल रकवा 3.00 ए0 का सीमांकन किए जाने का निवेदन किया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी/2817/दो/12 जिला रीवा विनोद कुमार / म.प्र.शासन, रमेश प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२७-08-2018	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक क्रमांक 2 के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार द्विवेदी उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क श्रवण किये गये। प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। 2/ प्रकरण में आवेदक का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील जवा जिला रीवा के समक्ष अनावेदक क्र 2 द्वारा ग्राम कसियारी की आराजी खसरा न 81/3 , 82/3 , 108/1 , 109/1 , 139/2 , 149/3, कुल रकवा 3.00ए. के सीमांकन बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तारतम्य में सीमांकन कार्यवाही की गयी। आवेदक के अनुसार सीमांकन विधिसम्मत न होने के कारण आवेदक द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 40/अ-12/10-11 आदेश दिनांक 12-06-12 के विरूद्व एक आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। आवेदक का कथन है कि विनोद कुमार भारतीय सेना में नौकरी करता है एवं जिस दिन सीमांकन कार्यवाही की गयी वह 173 फील्ड रेजीमेंट सिक्किम में ड्यूटी कर रहे थे। आवेदक के अनुसार भूमि रकवे में सीमांकन में पक्षपात हुआ है। तहसीलदार, तहसील जवां जिला रीवा के प्रकरण क्र क्रमांक 40/अ12/10-11 आदेश दिनांक 12-06-12 के विरूद्व यह निगरानी म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 एवं संशोधन अधिनियम 2011 ई. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3/ अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा लिखित तर्क अनुसार राजस्व निरीक्षक वृत्त जवां जिला रीवा ने मौके पर जाकर सभी सरहद्दी काश्तकारोंको सूचना देते हुए सीमांकन कार्यवाही पूर्ण की एवं आवेदक भी मौके पर उपस्थित थे परन्तु उनकेद्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया गया जिसका उल्लेख राजस्व निरीक्षक द्वारा पंचनामे में किया गया है। अनावेदक क्र 2 के अनुसार निगरानीकर्ता अपनी ड्यूटी से अवकाश में घर आये हुये थे एवं मौके पर उपस्थित थे।	

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया एवं संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, तहसील जवा जिला के प्रकरण क्रमांक क्रमांक 40/अ-12/10-11 आदेश दिनांक 12-06-12 के अनुसार अनावेदक क्रमांक 1 सीमांकित भूमियों का विधिवत स्वामी है जिन्हें सीमांकन कराने का पूर्ण अधिकार है एवं तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्तिकर्ता द्वारा यह आपत्ति उठायीगयी है कि सीमांकन कार्यवाही के समय निगरानीकर्ता स्थल पर उपस्थित नहीं थे परन्तु तहसीलदार, तहसील जवा जिला के प्रकरण क्रमांक क्रमांक 40/अ-12/10-11 आदेश दिनांक 12-06-12 के अनुसार आपत्तिकर्ता सरहद्दी कृषक प्रमोद कुमार एवं विनोद कुमार मौके पर उपस्थित थे परन्तु उनके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर नहींकिये गये है पंचनामा रिपोर्ट संलग्न है। अभिलेखनुसार आपत्तिकर्ता चाहे तो अपनी भूमि का प्रथक से विधिवत आवेदन देकर सीमांकन करा सकता है।

4/ प्रकरण में राजस्व निरीक्षक / हल्का पटवारी द्वारा चौकीदार के माध्यम से आवेदक एवं सरहदी काश्तकारों को सूचना दी गयी है, जो कि संलग्न है। मौके पर सीमाचिन्हों के अनुसार सीमांकन कर रिपोर्ट तैयार की गयी है। राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल पंचनामा एवं उपस्थिति पंचनामा भी तैयार किया गया है जो कि नस्ती में संलग्न है इसके अलावा नक्शा तरतींमी की कार्यवाही भी की गयी है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में आवेदकगण द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार, तहसील जवां जिला रीवा के सीमांकन प्रकरण क्र तहसीलदार, तहसील जवा जिला के प्रकरण क्रमांक क्रमांक 40/अ-12/10-11 आदेश दिनांक 12-06-12 के अनुसार को निरस्त किया जा सके।

अत: निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। आलौच्य आदेश दिनांक 12-06-12 स्थिर रखा जाता है। अभिलेख वापिस भेजे जावें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

29/8/18

(आर. के. मिश्रा)

सदस्य